हटाया गया नहीं माना जा सकता है। [(श्रीमती) कमला देवी ब० स्टेट आफ यू० पी० एण्ड अदर्स, 201
(122) आर० डी० 701 (डी०बी०)]।

[उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994]

नियम 18

नामांकन पत्र का खारिज किया जाना—सारवान प्रकृति की त्रुटि—तकनीकी त्रुटि अथव अन्य त्रुटि जो सारवान प्रकृति की नही है—प्रश्न यह है कि क्या नामांकन पत्र किसी तकनीकी त्रुटि अथवा अन्य त्रुटि जो सारवान प्रकृति की नहीं है के आधार पर खारिज किया जा सकता है। यह धारित किय गया कि यदि त्रुटि तकनीकी है अथवा सारवान प्रकृति की नहीं है तो नामांकन पत्र खारिज नहीं किया ज सकता है लेकिन जहां पर त्रुटि सारवान प्रकृति की है, नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है। यदि प्रस्तावक का नाम जिला पंचायत की मतदाता सूची में नहीं पाया जाता है तो नामांकन पत्र खारिज किया ज सकता है। ***न्यायिक निर्वचन***—(1) यदि प्रस्तावक का नाम जिला पंचायत की मतादाता सूची में नही पाय जाता है तो नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है। (2) यदि त्रुटि तकनीकी है अथवा सारवान् प्रकृति क नहीं है तो नामांकन पत्र खारिज नहीं किया जा सकता है लेकिन जहां पर त्रुटि सारवान प्रकृति की है, नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है। [*चन्द्रभान* ब० *स्टेट आफ यू० पी०,* 2014 (123) आर० डी० 82 (डी०बी०)]।

नियम 50

पुनर्मतगणना—प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी सामग्री के आधार पर पुनर्मतगणना क प्रथमदृष्टया प्रकरण बनता है—*[नियम 50, 52 एवं 53]*—प्राधिकारी ने अपने समक्ष प्रस्तुत की गय सामग्री के आधार पर पुनर्मतगणना का आदेश पारित किया। प्रश्न यह है कि क्या प्राधिकारी द्वारा पुनर्मतगणन का आदेश पारित किया जा सकता है। यह धारित किया गया कि यदि प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गय सामग्री के आधार पर पुनर्मतगणना का प्रकरण बनता है तो प्राधिकारी पुनर्मतगणना का आदेश दे सकता है पुनर्मतगणना के आदेश में कोई अवैधता नहीं पायी गयी। रिट याचिका खारिज की गयी। ***न्यायिक निर्वचन***—यदि प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी सामग्री के आधार पर पुनर्मतगणना का प्रकरण बनता तो प्राधिकारी पुनर्मतगणना का आदेश दे सकता है। [*उदयभान सिंह* ब० *अनिल,* 2014 आर०एल०टी (डी०ओ०सी०-2) 4 : 2013 (121) आर० डी० 313]।

[उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान) नियमावली, 1966]

नियम 5

अविश्वास का प्रस्ताव—अमुद्रित एवं अहस्ताक्षिरत मतपत्र—अवैध मतपत्र—*[नियम एवं 6]*—प्रश्न यह है कि क्या वह मतपत्र जो अमुद्रित है और पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नह है, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में गिना जा सकता है। यह धारित किया गया कि यह आज्ञापक है कि सदस्य को जारी किये गये मतपत्र पर शासकीय मुद्रा होनी चाहिये और वह पीठासीन अधिकारी द्वा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि मतपत्र पर शासकीय मुद्रा नहीं है और पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरि नहीं है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में नहीं गिना जा सकता है। यदि ऐसा अवैध मतपत्र गिना जा है, तो अविश्वास प्रस्ताव की सम्पूर्ण कार्यवाही प्रदूषित हो जायेगी। ***न्यायिक निर्वचन***—(1) अवैध मतप अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं गिना जा सकता है। (2) अमुद्रित एवं अहस्ताक्षरित मतपत्र अवैध मतप होता है। (3) यदि अधिनियम एवं नियमावली के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है त अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही प्रदूषित होगी। (4) पुरुष के बायें अंगूठे का निशान लिया जाता है। (5 महिला के दायें अंगूठे का निशान लिया जाता है। [*मधुकर मौर्या* ब० *स्टेट आफ यू० पी०,* 2014 (123 आर० डी० 266 (डी०बी०)]।